पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-2012

प्रदेश में पूंजी निवेश को आकर्षित करने, अधिकाधिक रोजगार सृजन किये जाने, प्रदेश को आकर्षक निवेश गंतब्य बनाये जाने व राज्य सकल उत्पाद में मैन्यूफैक्चरिंग क्षेत्र के योगदान में वृब्द्धि किये जाने के आशय से अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 के प्रस्तर-5.6.1 के अंतर्गत पूँजीगत् ब्याज उपादान योजना प्राविधानित की गयी है। योजनान्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्याँचल में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को शिड्यूल्ड बैंकों/केन्द्र व राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थाओं से नई इकाई की स्थापना हेतु प्लाण्ट एवं मशीनरी के लिए स्वीकृत/वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वित्तीय वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि अथवा अधिकतम रूपया 50 लाख, जो भी कम हो, प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगी।

उपरोक्त योजना नई वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, निटिंग एवं गारमेण्ट्स निर्माण इकाईयों के लिए प्रति वर्ष, प्रति इकाई बुंदेलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्याँचल में अधिकतम सीमा रू. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति इकाई रू. 50 लाख होगी।

योजना की संक्षिप्त रूपरेखा क्रियान्वयन, निर्णय एवं भुगतान की प्रक्रिया आदि निम्नवत् हैः-

1- योजना का शीर्षक	पूँजीगत ब्याज उपादान योजना-2012
2-योजना की अवधि एवं पात्रता	इस योजना के अंतर्गत वे नई औद्योगिक इकाइयॉ पात्र होगी जिन्हें शासनादेश जारी होने की तिथि से 05 वर्ष के भीतर प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु ऋण की धनराशि वित्तीय संस्था द्वारा उपलब्ध करा दी गयी हो तथा इकाई द्वारा ऋण वितरण की प्रथम तिथि से 3 वर्ष के भीतर वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ कर लिया गया हो। 5 वर्षो की समयावधि की गणना ऋण वितरण की प्रथम तिथि से की जायेगी।
3-योजनान्तर्गत आच्छादित क्षेत्र।	यह योजना वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, निटिंग, गारमेण्ट्स निर्माण इकाईयों के लिए प्रदेश के समस्त जनपदों में लागू होगी। उपरोक्त से भिन्न उद्योगों के लिए यह योजना बुंदेलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्याँचल क्षेत्र के मण्डलों में लागू होगी।
4-परिभाषाएं	(1) इकाई का तात्पर्य ऐसी पात्र नयी औद्योगिक इकाई से है जिसके द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी का क्रय तथा

	वाणिज्यिक उत्पादन का प्रारम्भ शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात किया गया हो। तथा जिसने उद्योग निदेशालय, उ.प्र. के अधीन संबंधित जिला उद्योग केन्द्र में ''सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006'' के धारा-8 के अन्तर्गत ज्ञापन जमा कर दिये गये हो। अथवा जिसके द्वारा इस शासनादेश के जारी होने के उपरान्त भारत सरकार के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में आशय पत्र अथवा इच्छा पत्र दाखिल किया गया हो। (2) ''पूर्वांचल'', बुन्देलखण्ड तथा मध्याँचल का तात्पर्य अनुलग्नक-1 में उल्लिखित जनपदों से है। (3) ''पिकप'' का तात्पर्य दि प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ यू.पी. लिमिटेड से है जो कम्पनी अधिनियम, 1956 के तहत उत्तर प्रदेश शासन के नियंत्रणाधीन कम्पनी है। (4) ''यू.पी.एफ.सी.'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कारपोरेशन से है जो राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 की धारा-3 के तहत गठित वित्तीय निगम है। (5) ''वित्तीय संस्था'' से तात्पर्य केन्द्र अथवा राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन वित्तीय संस्थायें अथवा शिड्यूल्ड बैंक से है। (6) ''ऋण वितरण की तिथि'' का तात्पर्य उस तिथि से है जिस दिन वित्तीय संस्था द्वारा इकाई को प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु ऋण धनराशि की प्रथम किस्त उपलब्ध करा दी गयी हो। (7) ''वर्ष'' का तात्पर्य दिनांक 01 अप्रैल से 31 मार्च की अवधि से है। (8) ''प्लाण्ट एवं मशीनरी'' का तात्पर्य नये यंत्र एवं संयंत्र से है जिसमें उपकरण, ह्यूमिडीफायर, जनरेटिंगसेट, ब्वॉयलर, कैप्टिव पॉवर प्लाण्ट, डाईज एण्ड मोल्ड्स तथा इकाई के प्रकृति के अनुरूप इस प्रकार के अन्य नये यंत्र, संयंत्र से है जिनका उपयोग उत्पादन हेतु सहायक हो। पुराने यंत्र, संयंत्र इत्यादि प्लाण्ट एवं मशीनरी की परिभाषा में सम्मिलित नही होगे।

5–योजना का परिचालन हेतु प्राधिकृत संस्था	1. योजना के परिचालन हेतु पिकप एवं उ.प्र. वित्तीय निगम प्राधिकृत संस्था होगी। 2. योजना का परिचालन योजना में आच्छादित क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली परियोजना में प्लाण्ट एवं मशीनरी पर किये गये निवेश पर रू.10 करोड़ की सीमा तक उ.प्र. वित्तीय निगम द्वारा किया जायेगा एवं रू.10 करोड़ से अधिक निवेश होने की दशा में योजना का परिचालन पिकप द्वारा किया जायेगा।
6–योजना का स्वरूप	(1) योजनान्तर्गत प्रदेश के बुन्देलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यँाचल में स्थापित होने वाली नई औद्योगिक इकाईयों को वित्तीय संस्थाओं से प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु वितरित सावधि ऋण पर भुगतान की गयी ब्याज की दर पर 5 प्रतिशत की दर से उस वर्ष में भुगतान किये गये ब्याज की धनराशि अथवा अधिकतम रूपया 50 लाख, जो भी कम हो, प्रति इकाई प्रति वर्ष अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगी। (2) उक्त योजना नई वस्त्रोद्योग यथा-कताई, बुनाई, नीटिंग एवं गारमेण्ट्स निर्माण इकाईयों के लिए प्रति वर्ष, प्रति इकाई बुंदेलखण्ड, पूर्वान्चल एवं मध्यँाचल में अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रू. 1 करोड़ तथा प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में प्रति वर्ष प्रति इकाई अधिकतम रू. 50 लाख होगी। (3) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु इकाई को वित्तीय संस्था से सावधि ऋण प्राप्त करना होगा। तत्पश्चात् इकाई द्वारा आवेदन-पत्र संबंधित संस्था यथा-उ.प्र. वित्तीय निगम के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय अथवा पिकप के मुख्यालय को प्रस्तुत किया जायेगा। (4) इस योजना का लाभ उन्हीं इकाईयों को अनुमन्य होगा जिन्होने राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत प्लाण्ट एवं मशीनरी पर किसी प्रकार की छूट या अनुदान का लाभ न लिया हो। (5) उपादान की अधिकतम सीमा निम्न प्रकार से होगी :- 1. इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष से कम होने की दशा में वास्तविक ब्याज दर के समतुल्य धनराशि। 2. इकाई द्वारा भुगतान किये जा रहे ब्याज की दर 5 प्रतिशत प्रति वर्ष अथवा इससे अधिक होने की दशा

	में 5 प्रतिशत ब्याज दर के समतुल्य धनराशि। उपरोक्त ब्याज दर के समतुल्य धनराशि प्रति इकाई प्रति वर्ष इस प्रतिबंध के साथ अनुमन्य होगी कि पूर्वान्चल, मध्यॉचल एव बुन्देलखण्ड में स्थापित वस्त्रोद्योग की दशा में रू.1 करोड़, तथा अन्य क्षेत्रों में स्थापित वस्त्रोद्योग एवं पूर्वान्चल, मध्यॉचल एवं बुन्देलखण्ड में स्थापित अन्य उद्योग की दशा में रू.50 लाख से अधिक न हो। (6) उपादान धनराशि का ऑकलन प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु वित्तीय संस्था द्वारा वितरित ऋण की धनराशि पर 5 प्रतिशत की दर से की जायेंगी। उदाहरण-यदि किसी इकाई द्वारा 14 प्रतिशत की दर से प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु वित्तीय संस्था से रू.1करोड़ का ऋण प्राप्त किया गया हो तो ब्याज उपादान की राशि 5 प्रतिशत ब्याज दर के अनुसार रू.5 लाख होगी।
7-योजना के अन्तर्गत स्वीकृति की पात्रता	(1) इकाई द्वारा प्रस्तर संख्या-2 में उल्लिखित पात्रता की शर्ते पूर्ण की गयी हो। (2) इकाई द्वारा प्रारूप-''क'' पर प्राधिकृत संस्था को आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो। (3) इकाई के पक्ष में वित्तीय संस्था द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु शासनादेश जारी होने की तिथि के पश्चात् सावधि ऋण वितरित किया गया हो तथा वित्तीय वर्ष में देय ब्याज का भुगतान इकाई द्वारा संबन्धित वित्तीय संस्था को कर दिया गया हो। (4) यदि इकाई द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ होने की तिथि से 6 माह के पश्चात प्रारूप-क पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जाता है तो 6 माह से ऊपर के विलम्ब की अवधि को 5 वर्ष की पात्रता अवधि से घटा दिया जायेगा। (5) उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु प्रथम आवेदन के पश्चातवर्ती वार्षिक आवेदन प्राधिकृत संस्था को अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक प्रस्तुत कर दिया गया हो। 30 जून के उपरान्त प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र पर पिछले वित्तीय वर्ष की अवधि के लिए ब्याज उपादान अनुमन्य नही होगा।

8-योजनान्तर्गत उपादान स्वीकृति एवं वितरण हेतु प्रक्रिया	(1) योजनान्तर्गत लाभ प्राप्ति हेतु इच्छुक इकाई द्वारा प्राधिकृत संस्था को निर्धारित आवेदन-पत्र ''प्रारूप-क'' में आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इसके साथ इकाई द्वारा उसे संबन्धित वित्तीय संस्था द्वारा प्लाण्ट एवं मशीनरी हेतु वितरित ऋण के सापेक्ष भुगतान किये गये ब्याज का, वित्तीय संस्था द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्राधिकृत संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा। (2) उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय में आवेदन-पत्र वॉछित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने पर मुख्यालय द्वारा इकाई के पक्ष में प्रारूप-ख पर स्वीकृति पत्र पन्द्रह कार्य दिवस में निर्गत किया जायेगा। (3) पिकप में आवेदन पत्र वॉछित प्रपत्रों के साथ प्राप्त होने पर पिकप मुख्यालय द्वारा इकाई के पक्ष में प्रारूप-ख पर स्वीकृति पत्र पन्द्रह कार्य दिवस में निर्गत किया जायेगा। (4) इकाई द्वारा स्वीकृति पत्र जारी होने के उपरान्त निर्धारित प्रपत्र ''प्रारूप-ग'' में नान-जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध संबन्धित संस्था के साथ संपादित कराया जायेगा।
9-भुगतान की प्रक्रिया	(1) प्राधिकृत संस्था द्वारा स्वीकृत ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन को वार्षिक मॉग प्रेषित की जायेगी। (2) प्राधिकृत संस्था से प्राप्त मॉग के आधार पर स्वीकृत ब्याज उपादान की धनराशि शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी। (3) प्राधिकृत संस्था द्वारा शासन से बजट धनराशि अवमुक्त होने के उपरान्त इकाई के पक्ष में पन्द्रह कार्य दिवस में वितरण की कार्यवाही की जायेगी। (4) इकाई द्वारा अपेक्षित मूलधन एवं ब्याज की किश्तों का भुगतान संबंधित वित्तीय संस्था को उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के अन्दर ही करना आवश्यक होगा। यदि किन्हीं कारणों से किसी भुगतान में इकाई डिफाल्टर हो जाती है तो उस किश्त के साथ दिये गये ब्याज पर कोई छूट (उपादान) देय नहीं होगी परन्तु यह अवधि पात्रता अवधि में सम्मिलित मानी जायेगी।

10–ब्याज उपादान योजना के लेखों का रखरखाव	प्राधिकृत संस्था द्वारा ब्याज उपादान की वितरित धनराशि का विवरण, लेखा एवं अन्य प्रपत्रों का संपूर्ण विवरण जनपदवार रखा जायेगा।
11– बजट की व्यवस्था	प्राधिकृत संस्था वर्ष के प्रारम्भ में औद्योगिक विकास विभाग को अनुमानित मांग प्रेषित करेगी जिसके आधार पर शासन द्वारा प्राधिकृत संस्था को बजट उपलब्ध कराया जायेगा।
12– स्वीकृत ब्याज उपादान सुविधा का निरस्तीकरण/ वसूली	निम्नलिखित परिस्थितियों के घटित होने की दशा में संबंधित इकाइयों को उपादान देय नहीं होगा एवं इकाई को ब्याज उपादान वितरित होने की दशा में वितरित धनराशि भू-राजस्व की भॉति वसूल किया जायेगा। (1) जब कोई औद्योगिक इकाई निर्धारित विवरण व सूचना, जो उससे मॉगी जाए, देने में असफल रहे। (2) जब किसी औद्योगिक इकाई द्वारा आवश्यक तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत करके अथवा असत्य सूचना देकर ब्याज उपादान प्राप्त किया हो। (3) जब किसी औद्योगिक इकाई द्वारा उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 क्रमागत वर्षों की अवधि के अन्तर्गत उत्पादन कार्य स्थाई रूप से (छः माह से अधिक) बन्द कर दिया गया हो अथवा दैवीय आपदा के कारण उत्पादन बन्द कर दिया गया हो, साथ ही दोनों ही अवस्थाओं में इकाई द्वारा संबंधित घटना/व्यवधान उत्पन्न होने के एक माह के अन्दर ही संबंधित प्राधिकृत संस्था को नाम से सूचना लिखित रूप से प्राप्त कराना अनिवार्य होगा। इस संबंध में प्राधिकृत संस्था का निर्णय सर्वमान्य होगा।
13–इकाईयों द्वारा सूचना का प्रस्तुत किया जाना।	योजनावधि में इकाईयों द्वारा प्राधिकृत संस्था स्तर से मांगी गयी सूचना उपलब्ध किया जाना आवश्यक होगा। इकाइयों द्वारा प्रति वर्ष उनके द्वारा किये गये उत्पादन आदि का विवरण एवं आडिटेड वार्षिक लेखा/वैलेन्स शीट संबंधित प्राधिकृत संस्था को नियमित रूप से उपलब्ध करायी जायेगी।
14– व्यय भार	योजनान्तर्गत आने वाले सभी व्यय यथा-अनुबंध पत्र व अनुषांगिक व्यय पात्र इकाई द्वारा अग्रिम रूप में देय होगा। उपरोक्त के अतिरिक्त पूँजीगत ब्याज उपादान की धनराशि का दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय भी पात्र इकाई द्वारा उपादान धनराशि के वितरण से पूर्व प्राधिकृत संस्था को दिया जायेगा।
15– अन्य	(1) योजना के क्रियान्वयन के संबंध में उत्पन्न विवाद अथवा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होने पर ऐसे मामलें

	प्राधिकृत संस्था के मुख्यालय स्तर पर संदर्भित किये जायेगें। (2) विवाद के अनिस्तारित रहने पर प्रकरण प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को संदर्भित किया जायेगा। (3) योजनान्तर्गत किसी विषय वस्तु को स्पष्ट करने का, योजना में संशोधन करने का अथवा अन्य नीतिगत निर्णय लेने का अधिकार प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को होगा।

संलग्नक-क

व्याज उपादान योजनान्तर्गत आवेदन-पत्र

1- इकाई का नाम व पता

2- इकाई का स्वरूप
(प्रोपराइटरशिप/पार्टनरशिप/कंपनी(प्रा0/लि0/(प्रा0/लि0/इंटरप्राइजेज/पैन नम्बर/टिन नम्बर साक्ष्य सहित प्रपत्र)

3- मुख्य प्रवर्तक/साझेदारों/निदेशकों का नाम एवं पते, फोटोग्राफ, निवास प्रमाण पत्र के साथ

4-दूरभाष, मोबाईल, ई-मेंल, बेवसाइट का विवरण

5- उद्यम पंजीकरण विवरण - संख्या दिनांक
(साक्ष्य के रूप में पंजीकरण की छाया प्रति संलग्न करें)

6- पंजीकृत उत्पाद

7- उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि

8- वित्तीय संस्था का नाम जहॉ से ऋण प्राप्त किया गया हो

9- प्लाण्ट एवं मशीनरी के निवेश पर वित्तीय संस्था द्वारा स्वीकृत
ऋण की धनराशि, देय ब्याज दर व दिनांक
(साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था/राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति)

10- प्लाण्ट एवं मशीनरी के निवेश पर वित्तीय संस्था द्वारा वितरित ऋण की धनराशि एवं दिनांक

(साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी प्रपत्र की प्रति)

11- यदि इकाई द्वारा उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी संस्था से भी वित्त पोषण प्राप्त किया गया है तो उसका संपूर्ण विवरण

(साक्ष्य के रूप में वित्तीय संस्था द्वारा जारी स्वीकृत ऋण प्रपत्र एवं अनुबंध पत्र की प्रति)

12- पूँजीगत ब्याज उपादान स्वीकृति हेतु दावों का विवरण

क्र0सं0	वर्ष जिसके लिए उपादान आवेदित है	वर्ष में वित्तीय संस्था को दिया गया भुगतान, जोकि वित्तीय संस्था द्वारा प्रमाणित किया गया हो		प्लाण्ट एवं मशीनरी के निवेश हेतु ऋण पर 5 प्रतिशत की दर से अपेक्षित ब्याज उपादान
		मूलधन	ब्याज	
1	प्रथम वर्ष ( )			
2	द्वितीय वर्ष ( )			
3	तृतीय वर्ष ( )			
4	चतुर्थ वर्ष ( )			
5	पंचम वर्ष ( )			
	योग			

प्रमाणित किया जाता है कि इकाई द्वारा राज्य सरकार की किसी अन्य योजनान्तर्गत प्लाण्ट एवं मशीनरी के निवेश पर ब्याज उपादान न तो प्राप्त किया गया है, न ही इस प्रयोजन हेतु किसी अन्य संस्था को आवेदन-पत्र दिया गया है। इकाई के सन्दर्भ में उपरोक्त समस्त विवरण सत्य हैं तथा वितरित ऋण के सन्दर्भ में दी गयी सूचना वित्तीय संस्था .... द्वारा दिये गये संलग्न प्रमाण-पत्र के अनुसार है जिसके आधार पर कुल रू0..... ब्याज उपादान स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र दिया जा रहा है।

मुख्य प्रवर्तक/अधिकृत प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं सील

दिनांक :

स्थान :

अनुलग्नक - 1

पूर्वान्चल	
फैजाबाद मण्डल	
1	फैजाबाद
2	अम्बेडकरनगर
3	बराबंकी
4	सुल्तानपुर
5	अमेठी
गोरखपुर मण्डल	
6	गोरखपुर
7	देवरिया
8	महराजगंज
9	कुशीनगर
इलाहाबाद मण्डल	
10	इलाहाबाद
11	कौशाम्बी
12	फतेहपुर
13	प्रतापगढ़
वाराणसी मण्डल	
14	वाराणसी
15	चन्दौली
16	जौनपुर

17	गाजीपुर
मिर्जापुर मण्डल	
18	मिर्जापुर
19	सन्तरविदासनगर (भदोही)
20	सोनभद्र
आजमगढ़ मण्डल	
21	आजमगढ़
22	बलिया
23	मऊ
देवीपाटन मण्डल	
24	गोण्डा
25	बहराइच
26	बलरामपुर
27	श्रावस्ती
बस्ती मण्डल	
28	बस्ती
29	सन्तकबीरनगर
30	सिद्धार्थनगर

अनुलग्नक - 2

बुन्देलखण्ड	
झांसी मण्डल	
1	झांसी
2	जालौन
3	ललितपुर
चित्रकूट मण्डल	
4	बांदा
5	चित्रकूट
6	हमीरपुर
7	महोबा

अनुलग्नक - 3

मध्यॉचल	
कानपुर मण्डल	
1	कानपुर नगर
2	कानपुर देहात (रमाबाईनगर)
3	इटावा
4	औरैया
5	फर्रूखाबाद
6	कन्नौज
लखनऊ मण्डल	
7	लखनऊ
8	हरदोई
9	लखीमपुर खीरी
10	रायबरेली
11	सीतापुर
12	उन्नाव